न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री यक्ष चौधरी (आई.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या : 117/2024

क्रमांक/आवेदन/2025/4365 दिनांक : 25.3.25

प्रार्थीगण

ठाकरनाथ पुत्र टीकमनाथ,
जाति जोगी, निवासी जोरानाडा,
तहसील शिव, जिला बाडमेर वगैरह (6)

विप्रार्थीगण

कुम्भनाथ पुत्र खैरनाथ,
वगैरा (43)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक शिव को प्रार्थीगण की मौजा जोरानाडा, तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 872/664 व 869/664 रकबा क्रमश 8.0937 व 8.0937 हैक्टेयर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर एवं लैण्ड रेकार्डस रूल्स, 1957 के नियम 34 (3) की प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस में भिजवानें हेतु 500/— रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। निरीक्षक भू–अभिलेख ~~छुंगा~~ शिव बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला–बाड़मेर

क्रमांक :— आवेदन/2025/4366-70 दिनांक :— 25.3.25

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ —

1. तहसीलदार **शिव** को सुचनार्थ।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक **शिव** को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी **शिव** को भेजकर लेख है कि भू–अभिलेख निरीक्षक ~~नेक्का~~ शिव द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी ठाकरनाथ पुत्र टीकमनाथ वगैरह (6) को सूचनार्थ।
5. विप्रार्थीगण कुम्भनाथ पुत्र खैरनाथ वगैरा (43) को सूचनार्थ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 13:56:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला–बाड़मेर